संख्या: 90/2015/1738/छप्पन-2015-90/2012

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2015

विषय: राजकीय हवाई पट्टी, सैफई, इटावा पर नाइट लैण्डिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-414/ए0एफ0/104/2015, दिनांक 24.07.2015 एवं पत्र संख्या-487/ए0एफ0/104/2015, दिनांक 04.09.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हवाई पट्टी सैफई, इटावा पर नाइट लैण्डिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 द्वारा आगणन तैयार किया गया है। प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू0 650.00 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त रू0 620.50 लाख (रूपये छः करोड़ बीस लाख पचास हजार मात्र) की लागत आंकलित की गयी है। अतः राज्यपाल महोदय कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणन में इंगित समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु रू0 620.50 लाख (रूपये छः करोड़ बीस लाख पचास हजार मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिस प्रायोजना/मद हेतु स्वीकृत की गयी है।

3- प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

4- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को अवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

5- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- संदर्भित आगणन में उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रभावी किये 4 प्रतिशत वर्क टैक्स को सम्मिलित किया गया है, जिसे अनुमन्य नहीं किया गया है।

7- प्रायोजनान्तर्गत लाकलाइजर एंटीना, लो-पावर डी0एम0ई0, डी0एम0ई0 एंटीना, 3 के0वी0ए0, यू0पी0एस0, डी0जी0 सेट आप्टिक फायर केबिल, पैनल आदि की लागत एकमुश्त आधार पर प्रस्तावित की गई है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसीफिकिशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

8- प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव में सी0सी0आर0 रूम के निर्माण हेतु दरें डी0एस0आर0-2012 के आधार पर प्रस्तावित की गई है, परन्त सी0सी0आर0 रूम की लागत का निर्धारण लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है।

9- योजना का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। यदि अनुमोदित कार्यों की लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

10- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

11- प्रस्ताव के लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12- कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण कर लिया जाय। विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यों एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के पश्चात् वांछित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराया जाय।

13- प्रायोजना में प्रयुक्त सामग्री की मात्राओं/उच्च गुणवत्ता की सुनिश्चितता का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

14- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-1113/दस-2015, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 90/2015/1738 (1)/छप्पन-15-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, इटावा।
5. महाप्रबन्धक (एयरपोर्ट्स डिवीजन) राइट्स लि0, प्लाट नं0-144, सेक्टर-44 गुडगॉव-122003 (हरियाणा)।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in